

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी
हरकोरी

बनाम

मुकाम- घोद मु. सीकर
गुलझारी आदि

मु.नं. ५३/2019

किस्म मुकदमा- राजस्व दावा

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख में
जारी हुए

03.10.2019

वकील वादिना द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट
न्यायालय हाज्रा ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो।
प्रतिवादीगण को जरिये सम्भव से तलब कर मिसल नियत
तिथि 04.11.2019 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
घोद मु. सीकर

५/१२/१९

प्रभावती पेश हुई/वकील समयपक्ष उपस्थित है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। प्रभावती पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 2/12/19 को पेश हो

११/११/१९ प्रभावती पेश हुई। वकील वादिना उपस्थित/
प्रभावती वास्ते इन्तजार तामील रिपोर्ट दिनांक
16/1/20 को पेश हो

16/1/2020

प्रभावती पेश हुई/वकील समयपक्ष उपस्थित है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। प्रभावती पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 20/1/2020 को पेश हो

20/1/2020

प्रभावती पेश हुई। वकील वादिना ने उपस्थित होकर
प्रभावती पर डांकित किया कि प्रकरण में टाजीवाका
हो चुका है, आगे नहीं चलाना चाहते हैं। कल
मौखिक विवेक किया कि प्रकरण को आगे नहीं चलाना
चाहते हैं। वादिना का वाद जाकि किया जावे। प्रकरण
में वकील वादिना को हुआ व प्रभावती का इवलोकन
किया। अतः वकील वादिना के विवेक को स्वीकार
किया जाकर वादिना का वाद स्पी स्टाप जाकि
किया जाता है। प्रभावती कैशल शुगर होकर बाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

राजीवका है
गलत इफ्तिया
काले गरी
महाअन्याय है

[Handwritten signature]

B.L. शर्मा

उपखण्ड अधिकारी
घोद म सीकर

